UPBS040050192026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती।

पीठासीन अधिकारी– (SANDEEP) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02112**

Criminal Misc. Cases/993/2026

प्रकीर्ण वाद सं–205/12/2026

लवकुश सिंह प्रति जगदीश सिंह उर्फ जालिम सिंह आदि

धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

थाना–नगर, जनपद–बस्ती।

तिथि–12/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई।

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी दिनांक 09.03.2026 को अपने घर से सुबह 5 बजे सैर करने निकला था। प्रार्थी बमुश्किल घर से 500 मीटर आगे कलवारी बस्ती रोड पर फुटहिया की तरफ जा रहा था कि तभी जगदीश सिंह उर्फ जालिम पुत्र स्व० शत्रुधन सिंह व गिरजेश सिंह पुत्र रविप्रताप सिंह अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ रास्ता रोक लिए तथा गला दबाने लगे। प्रार्थी के चीखने, चिल्लाने पर हाथ मरोड़कर सड़क पर पटक दिये और सड़क के नीचे खन्दक की ओर खींचने लगे। प्रार्थी असंतुलित होकर सड़क के पटरी पर गिर पड़ा तभी जगदीश सिंह उर्फ जालिम ने कहा कि इसे ले चलो आज इसे यमराज के पास भेज देते है। इसी बीच हरिश्चन्द्र सिंह जो इनके चाचा लगते है, भी पहुंच गये उनके हाथ में एक सोटा था उससे प्रार्थी के पेट में कोचने लगे और बोले इसी साले के वजह से कल जमानत करवाना पड़ा था। सुबह–सुबह प्रार्थी इन्द्रेश सिंह टहलने सड़क पर निकला ही था तभी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आगे बढ़ने पर देखा कि कुछ राहगीर प्रार्थी के पिताजी को बचा रहे है। प्रार्थी पहुंचा ही था कि तभी गिरजेश सिंह ने हरिश्चन्द्र सिंह के सोटे से प्रार्थी के पैर पर प्रहार कर दिया जिससे प्रार्थी गिर गया और काफी चोंटे आयी। राहगीरो के भीड़ जुटने तथा हल्ला होने के वजह से उन दोनों की जान बच सकी। जाते–जाते जगदीश सिंह उर्फ जालिम जो की एक अपराधी और गुण्डा किस्म का आदमी है, ने जान से मार डालने की धमकी दी है जिससे प्रार्थी के परिवार वाले काफी डरे है क्योंकि जगदीश सिंह उर्फ जालिम के नाम से अलग–अलग थाने में, कुछ अन्य प्रदेश में भी मुकदमें दर्ज है वह हिस्ट्रीशीटर किस्म का आदमी है। वह कुछ भी कर सकता है। प्रार्थी द्वारा घटना के संबंध में थाना स्थानीय, पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

Digitally signed by SANDEEP
Date: 2026.05.16 07:18:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, श्रीमान पुलिस अधीक्षक बस्ती को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद इत्यादि प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

संबंधित थाने से आख्या आहुत की गई। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित कोई अभियोग थाना–स्थानीय पर पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में विपक्षीगण के विरूद्ध तिथि–09–03–2026 को जब वह अपने घर से सुबह 5 बजे सैर करने के लिये निकला तब उसका रास्ता रोक लेने तथा गला दबाने एवं हाथ मरोड़ कर सड़क पर पटक देने एवं सड़क के नीचे खंदक के नीचे खीचने का आरोप लगाते हुये अभियोग पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी है। हालांकि संबंधित थाने द्वारा प्रेषित आख्या अनुसार तिथि–08–03–2026 को सुबह लगभग 8 बजे विपक्षी सं०–1 जगदीश सिंह ट्राली पर ईंट लादकर अपने घर के पीछे से ले जा रहे थे। रास्ते में आवेदक की जमीन पड़ती थी। ट्राली उसी जमीन से होकर जा रही थी। प्रार्थी तथा उसके परिवार वालों ने ट्राली ले जाने से मना किया कि यह जमीन हमारी है, इधर से ट्राली मत ले जाओं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई तथा दोनों पक्ष एक दूसरे पर अमादा फौजदारी होने लगे। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया गया तथा जब दोनों पक्ष उग्र होने लगे तो दोनों पक्षों के विरूद्ध तिथि–08–03–2026 को धारा–170, 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कार्यवाही करते हुये दोनों पक्षो को न्यायालय भेजा गया। इसके पश्चात विपक्षी सं०–1 द्वारा प्रार्थी के ऊपर गलत आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। इसी बात की सूचना जब प्रार्थी को मिली तो उसके द्वारा भी न्यायालय में विपक्षी के ऊपर झूठा एवं मनगढ़ंत आधार पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र में लगाये गये समस्त प्रकार के आरोप पूर्णरूप से असत्य व निराधार हैं। तिथि–09–03–2026 को कोई घटना घटित नहीं हुई है। संबंधित थाने द्वारा प्रेषित आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकरों के मध्य तिथि–08–03–2026 को ट्राली से ईंट ले जाने को लेकर विवाद हुआ था जिसकी दोनों पक्षों की गलती होने के परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–170, 126, 135 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। इसी तरह का प्रार्थना पत्र विपक्षी सं०–1 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध दिया गया है जो इसी न्यायालय में लंबित है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा पांच व्यक्तियों के विरूद्ध उसके साथ मार पीट करने का कथन किया गया है किन्तु इस संबंध में कोई चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि यह अविश्वसनीय है कि एक 64 वर्ष के व्यक्ति को पांच लोग मारे और उसे इतनी भी चोटें न आये कि वह अपना चिकित्सीय परीक्षण कराकर समस्त सुसंगत प्रपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसे में प्रथम दृष्टया

विपक्षीगण द्वारा कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परीक्षित नहीं होता है, अपितु प्रार्थी द्वारा मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर ऐसी घटना जो कारित ही नहीं हुई है, को बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो प्रत्येक परिस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी लवकुश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 निरस्त किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात नियमानुसार संचित अभिलेखागार हो।

(संदीप)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्ती
आई.डी. नम्बर–UP2112